न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 15/2023/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोर्ट बारां
दायरा दिनांक: 28.07.2023
अन्तर्गत धारा: 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भैरूलाल पुत्र श्री बद्रीलाल जाति माली (मृतक) जरिये का0मु0

1/1 घनश्याम पुत्र स्व0 भैरूलाल

1/2 जोधराज पुत्र स्व0 भैरूलाल

1/3 बालचंद पुत्र स्व0 भैरूलाल (मृतक) जरिये का0मु0

1/3/1 देवेन्द्र आयु 14 वर्ष

1/3/2 शिवानी आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये माता संतोषबाई

1/3/3 संतोष बाई आयु 39 वर्ष बेवा स्व0 बालचंद

1/4 सुगना बाई पुत्री स्व0 भैरूलाल

1/5 कलावती बाई पुत्री स्व0 भैरूलाल जाति माली

निवासीगण गुदरावनी तहसील मांगरोल, जिला बारां

.....अपीलार्थी

बनाम

मोरपाल पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गुदरावनी (मृतक) जरिये का0मु0

1/1 जमनालाल पुत्र मोरपाल जाति माली निवासी गोपालपुरा तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/2 उर्मिला बाई पुत्री मोरपाल जाति माली निवासी रावल जावल

1/3 संजूबाई पुत्री मोरपाल जाति माली निवासी रूण तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री मदनलाल गालव अभिभाषक, रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 01/2014 बउनवान भैरूलाल (मृतक) जरिये का0मु0 घनश्याम वगै0 बनाम मोरपाल में पारित

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निर्णय दिनांक 25.11.2022 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा निगरानी/एलआर/10760/2001/जिला बारां में पारित निर्णय दिनांक 27 नवम्बर, 2013 से "न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 12.03.2001 एवं न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2000 अपास्त किये जाकर प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर बारां को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की जांच करे तथा आवंटी मोरपाल के संपूर्ण खाते की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

2 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा निगरानी/एलआर/10760/2001/जिला बारां में पारित निर्णय दिनांक 27 नवम्बर, 2013 की पालना में प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी जाकर निर्णय दिनांक 25.11.2022 पारित किया गया कि तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न प्राप्त पटवारी हल्का ईश्वरपुरा की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा होना साबित है परंतु पूर्व में कब्जा बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी मोरपाल के वारिसान के खाते में खसरा सं0 177 के अलावा खसरा सं0 175/540 रकबा 0.12 है0 भूमि और होना तहसीलदार, मांगरोल की उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार साबित है। चूंकि आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। अतः प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 25.11.2022 पारित किया गया।

3 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक से विवेचन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 27.11.2013 से आवंटी मोरपाल के संपूर्ण खाते की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर, बारां को प्रेतिप्रेषित किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो मोरपाल के खाते के संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई न कब्जे के रिकॉर्ड के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल के पुत्र जोधराज द्वारा तहसीलदार मांगरोल को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जिस पर पटवार मण्डल इशरपुरा द्वारा दिनांक 05.07.2000 को जो रिपोर्ट दी गई तथा दिनांक 13.01.2021 को पटवारी हल्का इशरपुरा द्वारा वर्तमान में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें प्रार्थी का कब्जा होना साबित है, परंतु पूर्व में कब्जा बाबत् कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है, अप्रार्थी मोरपाल के वारिसान के खाते में खसरा सं0 177 के अलावा खसरा सं0 175/540 रकबा 0.12 है0 भूमि और होना तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के साथ प्राप्त दस्तावेजानुसार साबित है तथा आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। यह मानकर अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया गया है, जबकि ग्राम गोपालपुरा में खाता सं0 137 की खसरा सं 2/537 रकबा 0.05 है0 खसरा सं 2/552 रकबा 0.36 है0, खसरा सं0 204 रकबा 0.05 है0, खसरा सं0 206/553 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.53 है0 आराजी और स्थित है, जिसका कोई हवाला नहीं दिया गया। जबकि उक्त आवंटित आराजी शुरू से ही भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल के कब्जे काश्त में रही तथा उसके देहांत के बाद से उसके वारिसान के कब्जे काश्त में है, जिसमें वर्तमान में भी अपीलार्थीगण का कब्जा है जो मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2000 एव 13.01.2001 से पूर्णतया सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। आवेदन पत्र में निवासी मोरपाल को गुदरावनी लिखा गया है, जिसे बाद में काटकर गोपालपुरा किया हुआ है तथा किस गांव की भूमि आवंटित करवाना चाहता है, उस कॉलम में गुदरावनी का नाम लिखा हुआ है, जबकि आवंटन गोपालपुरा की आराजी का किया गया है तथा ग्राम बोहत में तीन बीघा व गुदरावनी में 12 बीघा जमीन पिता के खाते में है, जिसमें उसका आधा हिस्सा है, का आवंटन दिनांक 29.10.1988 को किया गया है। किंतु कब्जा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं किया गया और न उसको कोई दखल दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.11.2022 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा आवंटन दिनांक 29.10.1988 भी नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जिस समय भैरूलाल द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, उस वक्त उक्त आराजी गैर खातेदार में दर्ज थी तथा दौराने प्रक्रिया कब्जा नहीं होते हुये भी खातेदारी अधिकार दिये गये। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 25.11.2022 एवं आवंटन आदेश दिनांक 19.10.1988 निरस्त फरमाया जावे।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो मोरपाल के खाते के संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई न कब्जे के रिकोर्ड के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल के पुत्र जोधराज द्वारा तहसीलदार मांगरोल को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवार मण्डल इशरपुरा द्वारा दिनांक 05.07.2000 को जो रिपोर्ट दी गई तथा दिनांक 13.01.2021 को पटवारी हल्का इशरपुरा द्वारा वर्तमान में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें प्रार्थी का कब्जा होना साबित है, परंतु पूर्व में कब्जा बाबत् कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है, अप्रार्थी मोरपाल के वारिसान के खाते में खसरा सं0 177 के अलावा खसरा सं0 175/540 रकबा 0.12 है0 भूमि और होना तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के साथ प्राप्त दस्तावेजानुसार साबित है तथा आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। यह मानकर अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया गया है, जबकि ग्राम गोपालपुरा में खाता सं0 137 की खसरा सं 2/537 रकबा 0.05 है0 खसरा सं 2/552 रकबा 0.36 है0, खसरा सं0 204 रकबा 0.05 है0, खसरा सं0 206/553 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.53 है0 आराजी और स्थित है, जिसका कोई हवाला नहीं दिया गया। जबकि उक्त आवंटित आराजी शुरू से ही भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल के कब्जे काश्त में रही तथा उसके देहांत के बाद से उसके वारिसान के कब्जे काश्त में है, जिसमें वर्तमान में भी अपीलार्थीगण का कब्जा है जो मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2000 एव 13.01.2001 से पूर्णतया सिद्ध है। आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में निवासी गुदरावनी लिखा गया, जिसे बाद में काटकर गोपालपुरा किया हुआ है तथा किस गांव की भूमि आवंटित करवाना चाहता है, उस कॉलम में गुदरावनी का नाम लिखा हुआ है, जबकि आवंटन गोपालपुरा की आराजी का किया गया है। आवंटी के द्वारा कब्जा आजदिनांक तक प्राप्त नहीं किया गया और न उसको कोई दखल दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.11.2022 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा आवंटन दिनांक 29.10.1988 भी नियमविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जिस समय भैरूलाल द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, उस वक्त उक्त आराजी गैर खातेदार में दर्ज थी तथा दौराने प्रक्रिया कब्जा नहीं होते हुये भी खातेदारी अधिकार दिये गये। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 25.11.2022 एवं आवंटन दिनांक 19.10.1988 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2001 Page No. 478, RRD 2002 Page No. 1 पेश किये।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में कब्जा बाबत कोई दस्तावेज अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
संभाग, कोटा

न्यायालय में पेश नहीं किये गये और न ही इस न्यायायल में पेश किये गये हैं। रेस्पो0 को नियमानुसार खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये हैं। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार से हित निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 25.11.2022 पारित किया गया है, वह तहसीलदार मांगरोल के जांच करवाये जाने के उपरांत ही अपीलार्थी के खाते में खसरा सं0 177 के अलावा खसरा सं0 175/540 रकबा 0.12 है0 भूमि ओर होना तहसीलदार मांगरोल के उक्त रिपोर्ट से साबित होने पर ही अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

7 हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा निगरानी/एलआर/10760/2001/जिला बारां में पारित निर्णय दिनांक 27 नवम्बर, 2013 से "न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 12.03.2001 एवं न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22. 11.2000 अपास्त किये जाकर प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर बारां को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में राजस्व रिकोर्ड की जांच करे तथा आवंटी मोरपाल के संपूर्ण खाते की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा निगरानी/एलआर/10760/2001/जिला बारां में पारित निर्णय दिनांक 27 नवम्बर, 2013 की पालना में प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण में तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न प्राप्त पटवारी हल्का ईश्वरपुरा की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी/प्रार्थी का कब्जा होना साबित होने, परंतु पूर्व में कब्जा बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किये जाने से तथा अप्रार्थी मोरपाल के वारिसान के खाते में खसरा सं0 177 के अलावा खसरा सं0 175/540 रकबा 0.12 है0 भूमि और होना तहसीलदार, मांगरोल की उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार साबित होने पर तदानुसार आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होना वर्णित करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 25.11.2022 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विवाद आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का पूर्व में कब्ज़ा होने से संबंधित है। इस संबंध में अपीलार्थी का तर्क रहा है उक्त आवंटित आराजी शुरू से ही भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल के कब्जे काश्त में रही तथा उसके देहांत के बाद से उसके वारिसान के कब्जे काश्त में है,

संभागीय आयुक्त
संभाग, कोटा

जिसमें वर्तमान में भी अपीलार्थीगण का कब्जा है जो मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2000 एव 13.01.2001 से पूर्णतया सिद्ध है।

8 उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि आवंटी मोरपाल को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम गुदरावनी की आराजी खसरा सं0 92 की रकबा 3 बीघा का आवंटन (हाल खसरा सं0 177 रकबा 0.47 है0) दिनांक 29.10.1988 को किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा निगरानी/एलआर/10760/2001/जिला बारां में पारित निर्णय दिनांक 27 नवम्बर, 2013 की पालना में प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण में तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न प्राप्त पटवारी हल्का ईश्वरपुरा की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा होना साबित होने, परंतु पूर्व में कब्जा बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किये जाने से तथा अप्रार्थी मोरपाल के वारिसान के खाते में खसरा सं0 177 के अलावा खसरा सं0 175/540 रकबा 0.12 है0 भूमि और होना तहसीलदार, मांगरोल की उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार साबित होने पर तदानुसार आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं होना वर्णित करते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 25.11.2022 पारित किया गया। तहसीलदार मांगरोल के द्वारा जिला कलक्टर, बारां को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 13.01.2021 के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 अनुसार जमाबंदी चौसाला अनुसार उक्त खसरा सं0 177 रकबा 0.47 है0 किस्म बारानी 2 खातेदार मोरपाल पुत्र श्रवण माली निवासी गोपालपुरा के नाम दर्ज होना वर्णित किया गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट में मौका अनुसार उक्त भूमि पर लम्बे समय से भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी गोपालपुरा का कब्जा होना तथा उसके द्वारा काश्त किया जाना बताया गया है। भैरूलाल की मृत्यु होने के उपरांत उक्त आराजी पर उसके वारिसान के द्वारा कब्जा काश्त किया जाना बताया गया। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि आवंटी मोरपाल को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 19.10.1988 को प्रश्नगत आराजी का आवंटन किया गया है तथा उक्त आवंटित भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा आवंटन के समय के या उससे पूर्व में कब्जा होने से संबंधित कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज अधीनस्थ न्यायायल में पेश नहीं किये गये हैं। जहां तक प्रश्न है आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि आवंटी के पास मौजूद होने का तो इस संबंध में आवंटन हेतु आवंटी के द्वारा तत्समय प्रस्तुत आवेदन-पत्र में पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी एवं उसके पिता के खाते की भूमि होने की रिपोर्ट/अंकन किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी

संभागीय आयुक्त
[illegible], कोटा

अधिकार प्रदान किये जाने से तथा अपीलार्थी के द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन के समय अथवा पूर्व मे कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश किये और न हीं न्यायालय हाजा में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश किये, जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2022 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा